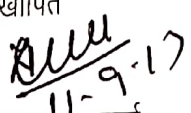
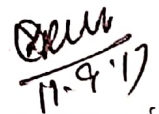


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-63/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पत्र की मूद कार्रवाई के बाद टिप्पणी
11-9-17	आवेदक श्री/श्रीमती राई कुई, पिता/पति स्व० बड़ाउदय गागराई ग्राम - जन्तालबेड़ा, पोस्ट - चक्रधरपुर, थाना - चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- जन्तालबेड़ा, वार्ड नं०.15, चक्रधरपुर नगर परिषद, थाना नं० -68, खाता नं०- 213, प्लॉट नं०- 328, रकबा- 0.06ए०, क्रेता श्री/श्रीमती-मंगला केराई, पिता/पति-लखन केराई ग्राम -पकुवाबेड़ा, पोस्ट- चिरुबेड़ा, थाना - चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका - राई कुई, पिता- स्व० बड़ाउदय गागराई के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 6,00,000/- (छः लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में हिरा कुई, काली कुई, पिता-मछुआ हो, वासु हो, कान्दे हो उर्फ उदय हो, पिता-करन हा एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध - पति-पत्नी का है। जमाबन्दी पंजी 11 में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना- चक्रधरपुर के निवासी हैं तथा "हो" (अ०ज०जाति०) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकबा -2.86ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 749, दिनांक 05.09.2017 द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती - मंगला केराई, पिता/पति-लखन केराई ग्राम -पकुवाबेड़ा, पोस्ट- चिरुबेड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित  11-9-17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर  11-9-17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	